Office of Commissioner of Police, Faridabad

Sector 21-C, Faridabad

Telephone No. 0129-2438000, 2438555

भर्ती सूचना

फरीदाबाद पुलिस में 61 (SPO) विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिए 25 अप्रैल, 2025 तक आवेदन करने बारे

सेना एवं अर्धसैनिक बल के सेवानिवृत्त कर्मचारी, HISF बटालियन के हटाए गए कर्मचारी तथा 2004 में हरियाणा सशस्त्र बल के हटाए गए कर्मचारी को फरीदाबाद पुलिस में विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) के तौर पर भर्ती किया जाएगा। इच्छुक आवेदक 25 अप्रैल, 2025 तक व्यक्तिगत रूप में पुलिस लाइन, सेक्टर-30, फरीदाबाद मे उपस्थित होकर संबंधित आवश्यक दस्तावेजों सहित संपर्क करें।

चयनित उम्मीदवार को 20,000/- रु. प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा।

चयनित उम्मीदवार के वेतन से ड्यूटी के दौरान हरियाणा राज्य परिवहन मे हरियाणा राज्य में निःशुल्क यात्रा करने के संबंध में 120 रु. प्रति माह काटा जाएगा।

भर्ती के योग्य आवेदक अपने साथ पासपोर्ट साइज के 4 फोटो, शिक्षा, सेवानिवृत्त से संबंधित सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र व सेवानिवृत्ति के समय प्रदान किया गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इत्यादि के मूल दस्तावेजों सहित व्यक्तिगत रूप से पुलिस लाइन सेक्टर-30, फरीदाबाद से संपर्क करें।

चयन हेतु निम्नलिखित सेवा शर्तें लागू होंगी-

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आवश्यक है उनकी आयु 25 से 50 साल तक होनी चाहिए और उन्हें अनुशासनहीनता या मेडिकल के आधार पर न हटाया गया हो।

विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) को एक वर्ष की अवधि के लिए 20,000/- के रुपये मासिक मानदेय पर रखे जायेंगे। इस राशि को नकद न देकर उनके बैंक खाते में जमा किया जायेगा।

विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) को उनके गृह पुलिस थाना में तैनात नहीं किया जायेगा। यह ध्यान में रखा जाये कि उनकी तैनाती उनके निवास स्थान के नजदीकी पुलिस थानों में हो।

विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) को भर्ती के समय दो जोड़ा वर्दी, एक जोड़ा जूते और अन्य आवश्यक वर्दी से संबंधित वस्तुओं के लिए 3000 रुपये केवल एक बार दिए जाएंगे।

विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) को सरकारी दौरे पर 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से T.A/D.A. दिया जाएगा।

आकस्मिक अवकाश, हरियाणा पुलिस के सिपाही के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये, स्थाई विकलांगता पर 1 से 3 लाख रुपये तक तथा गंभीर चोट पर 1 लाख रुपये तक अनुग्रह राशि मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। यदि प्राकृतिक मृत्यु है तो 3 लाख रुपये मुआवजा दिया जायेगा।

यदि विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) की दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है तो पुलिस सैलरी पैकेज के अनुसार 50 लाख रुपये दुर्घटना मृत्यु क्लेम का प्रावधान है, जिसमें से विधवा को 40 लाख, मां को 5 लाख व पिता को 5 लाख रुपये मिलेंगे।

विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) का भर्ती के समय कोई लिखित परीक्षा तथा शारीरिक मापतोल नहीं होगा।

राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

इन विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) को आपातकालीन स्थिति में थोड़े समय के लिए हरियाणा राज्य के किसी भी जिले में तैनात किया जा सकता है।

चयनित विशेष पुलिस अधिकारियों को 15 दिन के लिए पुलिस ड्यूटियों के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि इनको कानून व्यवस्था, गार्द ड्यूटी, पेट्रोलिंग, यातायात और पुलिस से संबंधित अन्य ड्यूटियों पर तैनात किया जा सके।

चयन के के लिए साक्षात्कार में आने के लिए उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता (T.A./D.A.) नहीं दिया जाएगा।

सहायक पुलिस आयुक्त,
मुख्यालय फरीदाबाद।

PRDH/1084/11/3267/2026/33845/31/4